न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 58/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/77

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री शारुख पुत्र श्री हनीफ मोहम्मदजी मैसर्स शारुख किराणा स्टोर, मेन रोड, खमेरा तहसील घाटोल, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक **23–12–2021** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **20–08–2021** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स शारुख किराणा स्टोर, मेन रोड, खमेरा तहसील घाटोल, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री शारुख पुत्र श्री हनीफ मोहम्मदजी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड) की 750 एम.एल वाले 24 पैक मूल बोतल** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड) की 4 पैक मूल बोतल** विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीदी तथा इनकी कीमत 560 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड) की 4 मूल बोतलो** पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारियाँ अंकित की गयी तथा बोतलो पर ही लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-804 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी

मे सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा व खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/221–222 दिनांक 22.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 157 दिनांक 03.09.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24–12–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17.01.2022 को अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/221–222 दिनांक 22.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 157 दिनांक 03.09.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। विक्रेता द्वारा **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड) मिस ब्राण्डेड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (ब्राण्ड पराग गोल्ड)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री शारुख पुत्र श्री हनीफ मोहम्मदजी मैसर्स शारुख किराणा स्टोर, मेन रोड, खमेरा तहसील घाटोल, बांसवाडा को रूपये 15,000/– (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश बुनकर

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested